रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2, 1989/ अग्रहायण 11, 1911
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2, 1989/AGRAHAYANA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1989

सा. का. नि. 883 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय परिषद् (श्रेणी 3, और श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली, 1961 के अधिक्रमण में (ऐसे अधिक्रमण-पूर्व-कृत कार्रवाही को छोड़कर) राष्ट्रपति इसके द्वारा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय में समूह ग और घ पदों की भर्ती की विधि के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, नामत:

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: 1. ये नियम उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1989 कहे जायेंगे।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(2) उपयोजन—ये नियम संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

(3) पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वही होगा जो इन नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) भर्ती की विधि, आयु-सीमा और अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 15 तक विनिर्दिष्ट हैं।

(5) निरर्हतायें : कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का करार किया है अथवा

3331 GI/89—1

(2) अधिसूचना सं. एफ. 9-13/73-यू 2 दिनांक 16-8-1973

(3) अधिसूचना सं. एफ. 9-66/74-यू 2 दिनांक 2-11-1974

(4) अधिसूचना सं. एफ. 9-11/73-यू 2 दिनांक 10-9-1975

(5) अधिसूचना सं. एफ. 16-29/75-यू. 2 दिनांक 8-1-1976

(6) अधिसूचना सं. एफ. 7-19/77 एल.यू. (यू-2) दिनांक 10-9-75 और

(7) अधिसूचना सं.एफ. 10-54/79-डेस्क(यू) दिनांक 20-11-1979

G.S.R. 888.—In exercise of the powers conferred by section 25 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the University Grants Commission (Disqualification, Retirement and Conditions of Service of Members) Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the University Grants Commission (Disqualification, Retirement and Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st January, 1981.

2. In the University Grants Commission (Disqualification, Retirement and Conditions of Service of Members) Rules, 1956, for sub-clause (d) of clause (VIE) of rule 5, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(d) Chairman and Vice-Chairman shall be entitled to payment of cash equivalent of leave salary and dearness allowance in respect of the period of earned leave lying at their credit at the time they vacate their respective offices. The payment of cash equipment of leave salary shall be limted to a maximum of 180 days earned leave".

[No. F. 10-87/88-Desk(u)]
S. G. MANKAD, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published vide notification No. F. 24-24-18/56-A-1, dated the 1st November, 1956 and was subsequently amended vide notifications:—

(1) Notification No. F. 9-60/76-U2 dated 15-1-1973,

(2) Notification No. F. 913/73-U2 dated 16-8-1973,

(3) Notification No. F. 9-66/74-U2 dated 2-11-1974,

(4) Notification No. F. 911/73-U2 dated 10-9-1975,

(5) Notification No. F. 16-29/75-Leg. United dated 8-1-1976,

(6) Notification No. F. 7-19/77-LU(U2) dt. 10-9-1975 and

(7) Notification No. F. 1054/79-Desk(U) dated 20-11-1979.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1989

सा. का.नि. 889.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 13-6-1987 के पृष्ठ 1494 से 1498 पर प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. 449 तारीख 25 मई, 1987 में,--

(i) पृष्ठ 1495 पर स्तंभ 7 में वांछनीय शब्द के नीचे "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य" शब्दों के स्थान पर "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या समतुल्य" शब्द पढ़ें।

(ii) पृष्ठ 1495 पर स्तंभ ii के नीचे मद (ख) में "8" अंक के स्थान पर "7" पढ़ें।

[सं. ए-32012/11/82-ई. [IV]
चरण दास, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th November, 1989

G.S.R. 889.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. GSR 449, dated the 25th May, 1987, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated 13-6-1987 at pages 1494 to 1498,—

(i) at page 1497, in Column 7, under the word Desirable for the entry :—

"Degree in Science or Engineering/Technology of a recognised University or equivalent." ;

read

"Degree in Science or Diploma in Engineering/Technology of a recognised University or equivalent".

(ii) at page 1498 under Column 11 at the end of (b), for the figure "8", read "7".

[No. A-32012/11/82-E. IV]
CHARAN DASS, Under Secy.

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 नवंबर, 1989

सा. का.नि. 890 भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443(अ) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 591 की उपधारा (i) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा भारत सरकार, विधि मंत्रालय (कंपनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे जिसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपांतरण करते हुये कंपनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स शाहजहाँपुरी इन्वेस्टमेंट (जिसे इसमें इसके बाद कंपनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कंपनी होने पर उक्त धारा 591 की उपधारा (4) के खंड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कंपनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपांतरित की गई है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपांतरों के अधीन होते हुये लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि कंपनी 31-3-89 को समाप्त वित्त वर्ष की बाबत अपने भारतीय व्यापार लेखाओं के संबंध में भारत में समुचित कंपनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 591 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन द्वारा समझा जायेगा :——

(i) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (i) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (i) के खंड (ग) के अंतर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत व्यावसायिक लेखापाल द्वारा किया गया है।

(ii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट रूप से प्रमाणित भारत में कंपनी की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(iii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी ने 31-3-89 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

[संख्या 50/16/98-सी.एल.-3]